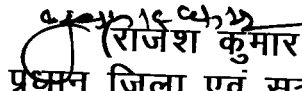


-:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::-
// आदेश //

क्रमांक.....53...../एक-11-2/11

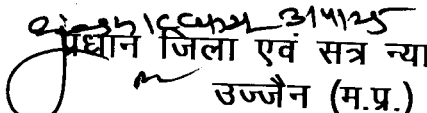
उज्जैन, दिनांक 03 /4/2025

कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्री आयुष अरोरा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तराना के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।


(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)
उज्जैन, दिनांक 4/2025

पृष्ठांकन क्रमांक/एक-11-2/11
प्रतिलिपि :-

1. श्री आयुष अरोरा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तराना
2. प्रस्तुतकार द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना (रिक्त न्यायालय) की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग अनुविभाग तराना की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण के अंतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ तराना की ओर सूचनार्थ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)